न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-15/2024

ज्ञानचन्द मुण्डा वगैरह

बनाम्

मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

-: आदेश :-

24-05-2024

आवेदक ज्ञानचन्द मुण्डा पिता-स्व0 शंकर पाहन व सुकरा पाहन पिता-स्व0 कारू पाहन व झागूर मुण्डा पिता-स्व0 दुखन मुण्डा व राजेन्द्र मुण्डा पिता-स्व0 मूलन पाहन व रघु पाहन पिता-स्व0 किशुन पाहन व पाण्डेय पाहन उर्फ परमेश्वर पाहन पिता-स्व0 किशुन पाहन व अजेश मुण्डा पिता-स्व0 सुरेश मुण्डा व आकाश मुण्डा पिता-स्व0 सुरेश मुण्डा व एतकी मुण्डाईन उर्फ पारो देवी पिता-स्व0 गंगा पाहन व बयलू मुण्डा पिता-स्व0 रामेश्वर पाहन व बिरेन्द्र पाहन व सुरेन्द्र मुण्डा पिता-स्व0 दुलदुल पाहन व चन्द्रदेव मुण्डा व लक्ष्मण मुण्डा पिता-स्व0 सुखदेव पाहन व फुलदेव मुण्डा पिता-स्व0 चौधा पाहन, सभी निवासी ग्राम+पो0-चकला, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् चकला खुली कोयला खदान परियोजना, चकला, चन्दवा के लिए मैसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई-400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0-चकला, थाना+अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा जो कोयला खादान में भूमि विभाग के सहायक महाप्रबंधक प्रतिस्थापित है के साथ अपनी निम्नांकित रैयती भूमि की बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :-

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा (एकड़)
चकला	171	1274	1.08
		1300	0.12

		1343	2.64
		1644	0.06
		1645	0.52
		1646	1.37
		1648	0.66
		1671	0.30
	274	1295	0.73
		1310	1.03
		1314	3.80
		1349	1.35
		1360	0.57
		1647	0.03
		1649	1.10
		1650	1.18
		1656	0.94
		1658	1.58
		1659	0.62
		1661	0.47
		1663	0.70
		1666	0.89
		1667	0.04
		1669	0.03
		1670	0.35
		1672	0.45
		1674	1.34
		1676	0.97
		1691	0.60
		1692	0.94
		1987	0.67
		1988	0.26
		1991	0.42
		2027	0.44
		2050	0.85
		2052	0.17
		2053	0.51
		2063	0.53
		2077	4.60
		2038	0.87
		2002	0.57
		कुल—	38.56

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 117 दिनांक 13.02.2024 एवं पत्रांक 330 दिनांक 13.04.2024 से प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार प्राप्त हुआ। आम इस्तेहार के विरूद्ध किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि

Sd/- 26/5

आवेदकगण का खतियानी भूमि है जिसका नामान्तरण वाद संख्या–658/2023–24 एवं 677/2023–24 से मांग पंजी–II में आवेदकगण का नाम दर्ज है। आवेदक CNT Act. के जाति की सूची से अच्छादित है तथा भूमि आवेदकगण के दखल कब्जे में है। भूमि बिक्री के लिए पूर्वानुमति की अनुशंसा की गयी है।

आवेदकगण एवं मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, चन्दवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

आवेदकगण न्यायालय में दिनांक 02.02.2024 को सशरीर उपस्थित होकर मौजा–चकला खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1274, रकबा–1.06 एकड़, प्लॉट नं0–1300 रकबा–0.12 एकड़, प्लॉट नं0–1343, रकबा–2.64 एकड़, प्लॉट नं0–1644 रकबा–0.06 एकड़, प्लॉट नं0–1645 रकबा–0.52 एकड़, प्लॉट नं0–1646 रकबा–1.37 एकड़, प्लॉट नं0–1648 रकबा–0.66 एकड़, प्लॉट नं0–1671 रकबा–0.31 एकड़ एवं खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1295 रकबा–0.73, प्लॉट नं0–1310 रकबा–1.03 एकड़, प्लॉट नं0–1314 रकबा–3.80 एकड़, प्लॉट नं0–1349 रकबा–1.35 एकड़, प्लॉट नं0–1360 रकबा–0.57 एकड़, प्लॉट नं0–1647 रकबा–0.03 एकड़, प्लॉट नं0–1649 रकबा–1.10 एकड़, प्लॉट नं0–1650 रकबा–1.18 एकड़, प्लॉट नं0–1656 रकबा–0.94 एकड़, प्लॉट नं0–1658 रकबा–1.58 एकड़, प्लॉट नं0–1659 रकबा–0.62 एकड़, प्लॉट नं0–1661 रकबा–0.47 एकड़, प्लॉट नं0–1663 रकबा–0.70 एकड़, प्लॉट नं0–1666 रकबा–0.89 एकड़, प्लॉट नं0–1667 रकबा–0.04 एकड़, प्लॉट नं0–1669 रकबा–0.03 एकड़, प्लॉट नं0–1670 रकबा–0.35 एकड़, प्लॉट नं0–1672 रकबा–0.45 एकड़, प्लॉट नं0–1674 रकबा–1.34 एकड़, प्लॉट नं0–1676 रकबा–0.97 एकड़, प्लॉट नं0–1691 रकबा–0.60 एकड़, प्लॉट नं0–1692 रकबा–0.94 एकड़, प्लॉट नं0–1987 रकबा–0.87 एकड़, प्लॉट नं0–1988 रकबा–0.28 एकड़, प्लॉट नं0–1991 रकबा–0.42 एकड़, प्लॉट नं0–2027 रकबा–0.44 एकड़, प्लॉट नं0–2050 रकबा–0.85 एकड़, प्लॉट नं0–2052 रकबा–0.17 एकड़, प्लॉट नं0–2053 रकबा–0.51 एकड़, प्लॉट

नं0–2063 रकबा–0.53 एकड़, प्लॉट नं0–2077 रकबा–4.60 एकड़, प्लॉट नं0–2038 रकबा–0.87 एकड़ तथा प्लॉट नं0–2002 रकबा–0.57 एकड़, कुल रकबा–36.55 एकड़ भूमि मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में बिक्री करने की सहमति दिया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–चकला का आवेदित भूमि खतियानी भूमि है, जिसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है एवं निर्विरोध रूप से अपने स्वत्व अधिकार का उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि चकला कोयला खदान के खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है और इस भू–खण्ड को द्वितीय पक्ष को बिक्री करना है। ग्राम–चकला थाना–चन्दवा, थाना नं0–238, अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार में स्थित भूमि खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1274, रकबा–1.06 एकड़, प्लॉट नं0–1300 रकबा–0.12 एकड़, प्लॉट नं0–1343, रकबा–2.64 एकड़, प्लॉट नं0–1644 रकबा–0.06 एकड़, प्लॉट नं0–1645 रकबा–0.52 एकड़, प्लॉट नं0–1646 रकबा–1.37 एकड़, प्लॉट नं0–1648 रकबा–0.66 एकड़, प्लॉट नं0–1871 रकबा–0.30 एकड़ एवं खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1295 रकबा–0.73, प्लॉट नं0–1310 रकबा–1.03 एकड़, प्लॉट नं0–1314 रकबा–3.80 एकड़, प्लॉट नं0–1349 रकबा–1.35 एकड़, प्लॉट नं0–1360 रकबा–0.57 एकड़, प्लॉट नं0–1647 रकबा–0.03 एकड़, प्लॉट नं0–1649 रकबा–1.10 एकड़, प्लॉट नं0–1650 रकबा–1.16 एकड़, प्लॉट नं0–1656 रकबा–0.94 एकड़, प्लॉट नं0–1658 रकबा–1.56 एकड़, प्लॉट नं0–1059 रकबा–0.62 एकड़, प्लॉट नं0–1661 रकबा–0.47 एकड़, प्लॉट नं0–1663 रकबा–0.70 एकड़, प्लॉट नं0–1666 रकबा–0.89 एकड़, प्लॉट नं0–1667 रकबा–0.04 एकड़, प्लॉट नं0–1669 रकबा–0.03 एकड़, प्लॉट नं0–1670 रकबा–0.35 एकड़, प्लॉट नं0–1672 रकबा–0.45 एकड़, प्लॉट नं0–1674 रकबा–1.34 एकड़, प्लॉट नं0–1676 रकबा–0.97 एकड़, प्लॉट नं0–1691 रकबा–0.60 एकड़, प्लॉट नं0–1692 रकबा–0.94 एकड़, प्लॉट नं0–1987 रकबा–0.87 एकड़, प्लॉट नं0–1988 रकबा–0.28 एकड़, प्लॉट नं0–1991 रकबा–0.42 एकड़, प्लॉट नं0–2027 रकबा–0.44 एकड़, प्लॉट नं0–2050 रकबा–0.85 एकड़, प्लॉट नं0–2052 रकबा–0.17 एकड़, प्लॉट नं0–2053 रकबा–0.51 एकड़, प्लॉट

नं0–2063 रकबा–0.53 एकड़, प्लॉट नं0–2077 रकबा–4.60 एकड़, प्लॉट नं0–2038 रकबा–0.87 एकड़ तथा प्लॉट नं0–2002 रकबा–0.57 एकड़, कुल रकबा–36.55 एकड़ के मालिक एवं कब्जाधारी रैयत हैं, जो कि खतियानी है तथा लगान जमा किया जा रहा है। उक्त भूमि के बावत किसी अन्य के नाम से कोई भी कागजात या दस्तावेज मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, सभी प्रकार के ऋण भार बंध को न्यायालय या देशी कुर्की विवादों, विलों, विनियमनों कर्ज या लेन–देन से स्वतंत्र या पूर्णतया मुक्त है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त भू–खण्ड का राजस्व रसीद हमारे नाम से निर्गत हो रहा है एवं अंचल के राजस्व दस्तावेज/रजिस्टर–II में हमारे नाम से दर्ज है। हमें पुख्ता जानकारी है कि चकला कोयला खदान का स्वामित्व द्वितीय पक्ष मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) ने निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 द्वारा दे दिया है तथा भूमि खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसके गर्भ में कोयला है एवं उसका उत्खनन राष्ट्रहित एवं लोकहित में अवश्यम्भावी है। चकला कोयला खनन हेतु अपनी भूमि द्वितीय पक्ष के पास भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बेचने के लिए तैयार है। द्वितीय पक्ष विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का चार गुणा की दर से भूमि खरीदना चाहती है, जिससे मैं संतुष्ट होकर उक्त जमीन को बेचने एवं कम्पनी के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र करने के लिए तैयार हूँ।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 के पृष्ठ–4 पर

Annexure 1 Particulars of the mine के Part A-Description of the mine अंकित है जो निम्नवत है–

Name of Coal Mine	Chakla
Coal Field	North Karanpura Coalfield
Latitude	23° 43' 01" N-23° 44' 55" N (Provisional)
Longitude	84°47' 11" E- 84° 49' 52" E (Provisional)
Villages	Chakla, Hariyatoli, Nawatoli, Amwatanr, Ambuatanr
Tehsil/Taluka	Chandwa
District	Latehar
State	Jharkhand

महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (CMPDI) (A Subsidiary of coal India limited/ Public Sector undertaking of Govt. of India), Gondwana place, Kanke Road, Ranchi के पत्रांक सीएमपीडीआई/बी0डी0/C(993)/E-403607/I-12688 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के चकला कोल ब्लॉक का Topographical survey, Block Boundary demarcation एवं DGPS Survey of Boundary Pillars किया गया है, जिसके Table-I में Block Boundary का सीमांकन कर C1 से C166 तक Boundary Pillars एवं Table-II में Bore-hole Pillars को चिन्हित कर Geographical/UTM/National Coal Grid Co-ordinates की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा Block Boundary demarcation के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 1000/रा0 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा चकला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़नेवाले वन भूमि, गैरमजरूआ आम/खास/जंगल–झाड़ी एवं रैयती भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रपत्र–7 में चकला कोल ब्लॉक/मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को प्रस्तावित हाल सर्वे खतियान के अनुसार रैयती भूमि का विवरण अंकित है। प्रपत्र–7 के रैयती भूमि के क्रमांक 647 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1274, रकबा–1.06 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 648 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1300 रकबा–0.12 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 649 में चकला ग्राम के

खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1343, रकबा–2.64 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 650 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1644 रकबा–0.06 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–मकान मय शहन, क्रमांक 651 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1645 रकबा–0.52 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 652 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1646 रकबा–1.37 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 553 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1648 रकबा–0.66 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 654 में चकला ग्राम के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1671 रकबा–0.30 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 958 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1295 रकबा–0.73 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 959 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1310 रकबा–1.03 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 960 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1314 रकबा–3.80 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 961 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1349 रकबा–1.36 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 962 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1360 रकबा–0.57 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो क्रमांक 963 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1647 रकबा–0.03 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो क्रमांक 964 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1649 रकबा–1.10 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 965 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1650 रकबा–1.18 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 966 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1656 रकबा–0.94 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 967 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1658 रकबा–1.58 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 668 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1659 रकबा–0.62 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक

93/2019

969 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1661 रकबा–0.47 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 970 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1663 रकबा–0.70 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 971 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1666 रकबा–0.89 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 972 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1667 रकबा–0.04 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–मकान मय शहन, क्रमांक 973 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1669 रकबा–0.03 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–मकान मय शहन, क्रमांक 974 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1670 रकबा–0.35 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 975 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1672 रकबा–0.45 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़ दो, क्रमांक 976 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1674 रकबा–1.34 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–टांड़, क्रमांक 977 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1676 रकबा–0.97 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–पुरानी परती, क्रमांक 978 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1691 रकबा–0.60 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 979 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1692 रकबा–0.94 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 980 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1987 रकबा–0.87 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 981 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1988 रकबा–0.26 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 982 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1991 रकबा–0.42 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 983 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2002 रकबा–0.57 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 984 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2027 रकबा–0.44 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 985 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2038 रकबा–0.87 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती,

किस्म–धान दो, क्रमांक 986 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2050 रकबा–0.85 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 987 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2052 रकबा–0.17 एकड़, भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो, क्रमांक 988 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2053 रकबा–0.51 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो क्रमांक 989 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2063 रकबा–0.53 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो तथा क्रमांक 990 में चकला ग्राम के खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2070 रकबा–4.00 एकड़ भूमि का प्रकार–रैयती, किस्म–धान दो अंकित है। इस वाद की भूमि खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1274, रकबा–1.06 एकड़, प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 647 खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1300 रकबा–0.12 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 648, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1343, रकबा–2.64 एकड़, प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 649, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1644 रकबा–0. 06 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 650, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1645 रकबा–0.52 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 651, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1646 रकबा–1.37 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 652, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1648 रकबा–0.68 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 653, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1671 रकबा–0.30 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–46 पर क्रमांक 648, एवं खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1295 रकबा–0.73 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 958, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1310 रकबा–1.03 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 959, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1314 रकबा–3.60 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 960, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1349 रकबा–1.35 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 961, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1360 रकबा–0.57 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 962, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1647 रकबा–0.03 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 963, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1649 रकबा–1.10 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 964, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1650 रकबा–1.18 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 965, खाता

संख्या–274 प्लॉट नं0–1656 रकबा–0.94 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 966, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1558 रकबा–1.58 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 967, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1659 रकबा–0.62 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 968, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1661 रकबा–0.47 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 969, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1663 रकबा–0.70 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 970, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1666 रकबा–0.89 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 971, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1667 रकबा–0.04 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 972, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1669 रकबा–0.03 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 973, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1670 रकबा–0.35 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 974, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1672 रकबा–0.45 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 975, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1674 रकबा–1.34 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 975, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1676 रकबा–0.97 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 977, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1691 रकबा–0.80 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 978, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1692 रकबा–0.94 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 979, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1987 रकबा–0.87 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 980, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1988 रकबा–0.28 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 981, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1991 रकबा–0.42 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 982, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–2002 रकबा–0.57 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–55 पर क्रमांक 983, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2027 रकबा–0.44 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 984, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2038 रकबा–0.87 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 985, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2050 रकबा–0.85 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 986, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2052 रकबा–0.17 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 987, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2053 रकबा–0.51 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 988, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2063

रकबा–0.53 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 989 तथा खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2070 रकबा–4.60 एकड़ प्रपत्र–7 पृष्ठ–56 पर क्रमांक 990 के अन्तर्गत है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(1)(ख) के अन्तर्गत खनन कार्य के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा घोषित करने का प्रावधान है, इसके संबंध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 से Chakla Coal Mine का मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में निधान आदेश जारी किया गया है।

सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6/सी0एन0टी0(परामर्श)–164/16–4091/रा0 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा निदेश है कि पूर्व कोल ब्लॉक आवंटी अथवा वर्तमान कोल ब्लॉक आवंटी के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49 के अन्तर्गत बिना अनुमति प्राप्त भूमि की रजिस्ट्री तथा नामान्तरण की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है।

Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 एवं अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 330 दिनांक 13.04.2024 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में मौजा चकला के खाता संख्या–274 के प्लॉट संख्या–2070 रकबा–4.60 एकड़ का ऑनलाईन पंजी–II में त्रुटीपूर्ण प्रविष्टि प्लॉट 2077 जिसका हाल सर्वे खतियान भी प्लॉट नं0–2070 रकबा–4.60 एकड़ प्रकाशित है। उक्त प्लॉट को छोड़कर अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा जांच प्रतिवेदन में अनुमति हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा–चकला, अंचल–चन्दवा के खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1274, रकबा–1.06 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1300 रकबा–0.12 एकड़, खाता

नं0–171, प्लॉट नं0–1343, रकबा–2.64 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1644 रकबा–0.06 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1645 रकबा–0.52 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1646 रकबा–1.37 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1648 रकबा–0.66 एकड़, खाता नं0–171, प्लॉट नं0–1671 रकबा–0.30 एकड़ एवं खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1295 रकबा–0.73, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1310 रकबा–1.03 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1314 रकबा–3.80 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1349 रकबा–1.35 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1360 रकबा–0.57 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1647 रकबा–0.03 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1649 रकबा–1.10 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1650 रकबा–1.18 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1656 रकबा–0.94 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1658 रकबा–1.58 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1659 रकबा–0.62 एकड़, खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–1661 रकबा–0.47 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1663 रकबा–0.70 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1666 रकबा–0.89 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1667 रकबा–0.04 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1669 रकबा–0.03 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1670 रकबा–0.35 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1672 रकबा–0.45 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1674 रकबा–1.34 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1676 रकबा–0.97 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1691 रकबा–0.60 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1692 रकबा–0.94 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1987 रकबा–0.87 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1988 रकबा–0.28 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–1991 रकबा–0.42 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2027 रकबा–0.44 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2050 रकबा–0.85 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2052 रकबा–0.17 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2053 रकबा–0.51 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2063 रकबा–0.53 एकड़, खाता संख्या–274, प्लॉट नं0–2038 रकबा–0.87 एकड़ तथा खाता संख्या–274 प्लॉट नं0–2002

रकबा–0.57 एकड़, कुल रकबा–31.95 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अन्तर्गत ज्ञानचन्द मुण्डा पिता–स्व0 शंकर पाहन व सुकरा पाहन पिता–स्व0 कारू पाहन व झागूर मुण्डा पिता–स्व0 दुखन मुण्डा व राजेन्द्र मुण्डा पिता–स्व0 भूलन पाहन व राधु पाहन व पाण्डेय पाहन पिता–स्व0 किशुन पाहन व अजेश मुण्डा व आकाश मुण्डा पिता–स्व0 सुरेश मुण्डा व पड़की मुण्डाईन, पिता–स्व0 गंगा पाहन व बबलू मुण्डा पिता–स्व0 रामेश्वर पाहन व बिरेन्द्र पाहन व सुरेन्द्र मुण्डा पिता–स्व0 दुलदुल पाहन व चन्द्रदेव मुण्डा व लक्ष्मण मुण्डा पिता–स्व0 सुखदेव पाहन व फुलदेव मुण्डा पिता–स्व0 बौधा मुण्डा को कोयला खनन कार्य हेतु मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला– लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज कुमार सिन्हा वल्द स्व0 कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा सहायक महाप्रबंधक के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के साथ भूमि की बिक्री द्वारा अन्तरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा औद्योगिक कार्य के लिए भूमि का क्रय किया जा रहा है। उक्त भूमि का विक्रय दर औद्योगिक कार्य के आधार पर अदा करना होगा।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(4) के आलोक में विपक्षी मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा रैयत के आपसी सहमति से अन्य किसी स्वरूप/प्रकार के रूप में भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चार गुणा मुआवजा राशि देय होगा, जो उस हल्का क्षेत्र के लिए निर्धारित कृषि दर का चार गुणा से कम नहीं होगा।

3. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगा की जिस उदेश्य/प्रयोजन के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(2) में निहित प्रावधान के तहत् भूमि क्रय किया जा रहा है, क्रेता द्वारा उसका गैर औद्योगिक उपयोग अथवा किसी दूसरे के साथ हस्तानान्तरण मान्य नहीं होगा।

45/26/K

4. झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भू–खण्ड का हस्तांतरण नहीं होगा, और अंतर/शेष राशि जो The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 एवं यथा संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि से संबंधित क्षेत्र में कृषि श्रेणी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि उचित प्रतिकर के रूप में देय होगा।

5. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा Jharkhand Rehabilitation & Resettlement Policy एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत सभी निदेशों/अनुदेशों (संशोधित सहित) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(5) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जा सकेगा।

7. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49(3) के आलोक में अंतरण रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जायेगा और दस्तावेज के रजिस्ट्रीकृत तथा भूमि के अंतरित किये जाने के पूर्व दस्तावेज के बंधेजों और अंतरण पर अधोहस्ताक्षरी का सम्मति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तांतरण के पश्चात् राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

9. मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सुनिश्चित करेगा कि जिस उद्देश्य से भूमि प्राप्त कर रहा है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करेगा।

10. मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड इन शर्तों के अतिरिक्त रैयत/विक्रेता के साथ किये गये एकरारनामा का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

11. उपरोक्त धाराओं के आलोक में भूमि के प्रकृति (उपयोग के आधार पर) के अनुसार रैयत तथा राज्य सरकार के हितों को संरक्षित रखते हुए भूमि के दर के संबंध में जिला अवर निबंधक द्वारा निबंधन की तिथि को निर्धारित सर्किल रेट के आलोक में समुचित क्षतिपूर्ति की शर्तों के साथ क्रेता और विक्रेता की

सहमति की दशा में विक्रय की अनुमति दी जाती है।

12. अंचल अधिकारी, चन्दवा/अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/जिला अवर निबंधक, लातेहार यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हो रहा है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा, अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार एवं जिला अवर निबंधक, लातेहार को उपलब्ध करायें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.29 16:37:54 +05:30
Location: 192.168.174.92